HAMIRPUR POLICE

जनपद हमीरपुर **दिनांक 17.05.2023**

प्रभावी पैरवी कर 02 अभियुक्तों को अधिकतम 03-03 वर्ष के कठोर करावास व प्रत्येक को 8,000/- के अर्थदंड की सजा दिलाई:-

आज दिनांकः- 17.05.2023 को F.T.C. – II कोर्ट द्वारा नामजद 02 अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 160/2010 धारा- 308/504/506 I.P.C. में नामजद अभियुक्तगण 1). भुइयादीन पुत्र सुखुवा पाल 2). फूल सिंह पुत्र भुइयादीन निवासीगण अरतरा थाना- मौदहा जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग मे आरोपियों को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त दोनो अभियुक्तगणो 1). भुइयादीन पुत्र सुखुवा पाल 2). फूल सिंह पुत्र भुइयादीन को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व एंव प्रत्येक को 8,000 हजार रु0 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।